



सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केन्द्र
CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन
DEFENCE R&D ORGANISATION
भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE
मारतहल्ली कालोनी पोस्ट आफिस, बेंगलूर
MARATHAHALLI COLONY P.O.
BENGALURU - 560 037.

वर्ग अनुमोदन सं. 1627/Type Approval No.1627

मद/FOR ITEM: डीएफसीसी-एफटीआई-आरएस422 डेटा रिकार्डिंग यूनिट पार्ट सं. ए1के-आई 1-1000-000-00ए मॉड 4 /
DFCC-FTI-RS422 Data Recording Unit Part No. A1K-I1-1000-000-00A MOD 4

यह प्रमाणित किया जाता है कि एरोनॉटिकल डेवलेपमेंट एजेंसी (एडीए), बेंगलूर - 560 017 द्वारा अभिकल्पित और विकसित तथा मेसर्स कम्प्यूड्रॉ, सं 336, 4-ए मेन रोड, 12-सी क्रॉस, वेस्ट ऑफ कॉर्ड रोड, 2 स्टेज, महालक्ष्मीपुरा, बेंगलूर - 560 086, द्वारा उत्पादित "डीएफसीसी-एफटीआई-आरएस422 डेटा रिकार्डिंग यूनिट" पार्ट सं. ए1के-आई 1-1000-000-00ए मॉड 4 को जी ए आरेखन सं. ए1के-आई 1-1000-000-00ए, इश्यू-1, के अनुसार एल सी ए (तेजस) के फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम में उपयोग हेतु उत्पादन के लिए अनुमोदित किया जाता है। यह उत्पाद आर.सी.एम.ए (वायुयान) के समन्वय से नियंत्रक तकनीकी विनिर्देश सं. एडीए/एलसीए/आईएफसीएस/536/ए, इश्यू सं.02, दिनांक जनवरी 2005 और परिशिष्ट 'ए' में दर्शाए गए क्वालिफिकेशन टेस्ट शेड्यूल संख्याओं के अनुसार परीक्षित किया गया है। यह परिशिष्ट 'ए' में संलग्न वर्ग रिकार्ड कम्प्लायन्स स्टेटमेंट में विवरित आवश्यकताओं को पूर्ण कर चुका है।

This is to certify that the "DFCC-FTI-RS422 Data Recording Unit" bearing the Part No. A1K-I1-1000-000-00A MOD 4 designed & developed by Aeronautical Development Agency, (ADA) Bengaluru-560 017 and manufactured by M/s Compudraw, No. 336,4-A Main Road, 12-C Cross, West of Chord Road, 2nd stage, Mahalakshmpura, Bengaluru - 560 086, is hereby approved for production as per G.A Drawing No. A1K-I1-1000-000-00A, Issue-1, for use in the Flight Control System of LCA (Tejas). The product has been tested in co-ordination with RCMA (Aircraft) as per Governing Technical Specification No. ADA/LCA/IFCS/536/A, Issue No. 02, Dt: Jan 2005 & Qualification Test Schedule Nos. mentioned in Appendix-A. It has met the requirements as detailed in type record compliance statement enclosed at Appendix 'A'.

2. इस वर्ग अनुमोदन को जारी करने के फलस्वरूप उत्पाद को प्रदत्त अंतरिम निकासी सुपरसीड होती है । इसके उत्पादन के लिए अपनाई गई विधि को अब से सील कर दिया जाता है । उपरोक्त वर्ग अनुमोदन संख्या को सभी संलग्न आरेखन, संविदा तथा रिलीज़ नोट्स में उल्लेखित किया जाना चाहिए ।

The Provisional Clearances accorded for this product are hereby-superceded consequent to issuance of this Type Approval. The process adopted to manufacture this product is sealed henceforth. The Type Approval number quoted above must be reflected in all relevant drawings, contracts & release notes.

3. यह वर्ग अनुमोदन 31 दिसम्बर 2015 तक वैध है बशर्ते कि इसे स्थगित,निरस्त या रद्द नहीं किया जाए और इसके बाद में इसका नवीकरण करवाना होगा । विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के तीन महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक को सम्मिलित करते हुए सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ आर.सी.एम.ए (वायुयान), बेंगलूरु - 560 037 से अनुरोध करना होगा ।

This Type Approval is valid up to 31st Dec 2015 unless otherwise cancelled or suspended or revoked and will have to be renewed subsequently. The vendor shall request RCMA (Aircraft), Bengaluru-560 037, for subsequent renewal, three months before the expiry of Type Approval, with all relevant documents including performance feedback.

4. अगर इस अनुमोदन को किसी अन्य अभिकरण को स्थानांतरण करना हो या संलग्न टाइप रेकार्ड में इंगित एसओपी के अनुसार निष्पादन में कोई परिवर्तन करना हो तो सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केन्द्र (सेमिलेक), बेंगलूरु-560 037 की पूर्व सहमति लेनी होगी।

Prior concurrence of Centre for Military Airworthiness & Certification (CEMILAC), Bengaluru-560 37, will have to be obtained if this approval is to be transferred to any other agency or changes if any, in the SOP and declared to the performance indicated within the Type Record enclosed herewith are effected.

5. यह वर्ग अनुमोदन, थोक उत्पादन के लिए डी.जी.ए.क्यू.ए, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण पक्ष के क्लीयरेंस निकासी एवं दर्शायी गई विधि के स्पष्ट रूप से कड़े अनुपालन पर आधारित है ।

This approval is contingent upon strict adherence to the process demonstrated and the quality control aspects of bulk production being cleared by DGAQA, Ministry of Defence, Govt. of India.

संलग्न/Encl : परिशिष्ट-‘ए’/Appendix-‘A’

सं/No. : सेमिलेक /CEMILAC/5070/ टी.ए/TA- 1627

दिनांक/Date : 06 Jan 2011

फेक्स सं/Fax No: 080-25230856


(डॉ. के.तमिलमणि/ Dr. K. TAMILMANI)
विशिष्ट वैज्ञानिक /Distinguished Scientist
मुख्य कार्यपालक (उड़नयोग्यता) /
Chief Executive (Airworthiness)


06/01/2011


06/01/11


6/1